सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 79/2018

ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए0यू0 फाईनेन्सर्स(इंडिया) लिमिटेड) रजिस्टर्ड ऑफिस-19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 तथा ऑफिस जी 18, बापूजी मार्ग, आई ओसी पैट्रोल पम्प के पीछे, सहकार मार्ग, जयपुर 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह

बनाम

1- पप्पूलाल मीणा पुत्र गोपीराम मीणा निवासी-26, स्कूल के पास लवाण तहसील व जिला दौसा। अन्य पताः पट्टा नं0 268, ग्राम पंचायत लवाण, दौसा।
2- श्रीमती सीता देवी पत्नी पप्पूलाल मीणा निवासी-26 स्कूल के पास लवाण तहसील व जिला दौसा।
3- हरीनारायण मीणा पुत्र मूलचन्द मीणा निवासी-38, कोठी वाली ढाणी, खानवास तहसील व जिला दौसा।

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002
बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री संदीप चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांकः 03.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ए यू.स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड जयपुर ने अप्रार्थी श्री पप्पूलाल मीणा पुत्र गोपीराम मीणा एवं श्रीमती सीतादेवी पत्नी पप्पूलाल मीणा निवासी 26 स्कूल के पास लवाण को 250000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्राथी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी। उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक को सुना गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। हमने प्रार्थी बैक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नही करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति पप्पूलाल मीणा पुत्र गोपीराम मीणा निवासी 26 स्कूल के पास लवाण की सम्पत्ति पट्टा संख्या-268, ग्राम पंचायत लवाण, पंचायत समिति दौसा, जिला दौसा राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी कुल माप 65.11 वर्ग गज है। जो श्री पप्पूलाल मीणा पुत्र गोपीराम मीणा के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांकः 03 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा